परिसीमन / अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

संख्या– प0नि0 30–95 / 2026...4053

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला दंडाधिकारी, भोजपुर।

पटना, दिनांक–14.10.26

विषय :– पंचायत परिसीमन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये जी.आई.एस. मैप (राजस्व ग्रामों) के नक्शों में सुधार के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–2592 दिनांक 12.09.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रखंड बिहिया अन्तर्गत 98 राजस्व ग्रामों में से 76 राजस्व ग्रामों के EB की चौहद्दी अंकन के क्रम में उक्त अन्य प्रखंड में प्रदर्शित होने संबंधी प्रतिवेदन प्रेषित की गई है। उर्पयुक्त आलोक में वस्तुस्थिति की समीक्षा हेतु दिनांक 12.10.2026 को प्रखंड बिहिया, शाहपुर एवं बड़हरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उनकी टीम आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए एवं समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि प्रखंडो के NIC द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्र की सीमा में सुधार की आवश्यकता है। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा राजस्व अभिलेख के मानचित्र के आधार पर मानचित्र की सीमा में परिवर्तन किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित) की धारा–11(1) के प्रावधानानुसार पंचायतों के परिसीमन की शक्ति जिला दंडाधिकारी में ही निहित है। तदालोक में पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या–10745, दिनांक–20.07.2026 द्वारा पंचायतों के परिसीमन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के सामान्य या विशेष आदेश, निदेश एवं अनुदेश तथा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी को ही अधिकृत किया गया है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि अपर समाहर्ता के अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित प्रखंड अन्तर्गत राजस्व ग्रामों के मानचित्र के साथ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एवं आई.टी प्रबंधक को प्रखंडो की टीम के साथ राज्य सूचना विज्ञान केंद्र (State NIC) में मानचित्र की सीमा में अपेक्षित सुधार हेतु अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकृत किया जाए एवं तत्संबंधी सूचना आयोग को भी उपलब्ध कराया जाए। जिला द्वारा गठित टीम को आवश्यक सहयोग एवं NIC से समन्वय स्थापित किये जाने हेतु श्री प्रेम प्रकाश, अवर निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री नीतिश कुमार, आई.टी.प्रबधंक नामित किये जाते हैं जो जिला एवं NIC से लगातार समन्वय स्थापित करते हुए उक्त कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगें ताकि सुधार पश्चात 2011 की जनगणना के EB,s की चौहद्दी को आयोग के एप्लीकेशन पर सटीकता के साथ अंकन किया जा सके एवं त्रुटिरहित परिसीमन का कार्य कराया जा सके।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

संचिका सं0–प.नि. 30–95/2026 4053 दिनांकः– 14.10.2026

प्रतिलिपिः–राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

संचिका सं0–प.नि. 30–95/2026 4053 दिनांकः– 14.10.2026

प्रतिलिपिः– श्री प्रेम प्रकाश, अवर निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री नीतिश कुमार, आई.टी.प्रबधंक, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त